न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

(1) अपील संख्या :– 99/14 (धारा 76 भू राज0भू.अधि0 1956) (RCMS No.2014/00095)

1. महावीर सिंह
2. वीरपाल सिंह

पिसरान जगनसिंह जाति जाट निवासी मई गूजर तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. रेशम वेवा लालाराम
2. हुकमसिंह
3. दानवीर

पुत्रगण अतरसिंह अकवाम जाट निवासी मई गूजर तहसील व जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपजिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 30.5.2014 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 225 दिनांक 24.6.2010 ग्राम मई गूजर ग्राम पंचायत चिचाना तहसील व जिला भरतपुर।

(2) अपील संख्या :– 100/14 (धारा 76 भू राज0भू.अधि0 1956) (RCMS No.2014/00094)

1. महावीर सिंह
2. वीरपाल सिंह

पिसरान जगनसिंह जाति जाट निवासी मई गूजर तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. रेशम वेवा लालाराम
2. हुकमसिंह
3. दानवीर

पुत्रगण अतरसिंह अकवाम जाट निवासी मई गूजर तहसील व जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उप जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 30.05.2014 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 229 दिनांक 29.07.2010 ग्राम मई गूजर ग्राम पंचायत चिचाना तहसील व जिला भरतपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री राजेश सोगरवाल वकील अपीलान्ट।
2. श्री मोहन सिंह राना वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 30.10.2023

उपरोक्त दोनों अपीलों की समान प्रकृति एवं समान पक्षकार होने के कारण दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। उप जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 30.5.2014 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के द्वितीय अपील पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि **पहला** नामान्तरकरण संख्या 225 जो कि मृतक खातेदार लालाराम पुत्र छीतरिया की मृत्योपरान्त उसकी विरासत का रेशम पत्नी स्व0 लालाराम के नाम ग्राम पंचायत चिचाना पंचायत समिति सेवर के द्वारा दिनांक 24.6.2010 को

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

स्वीकृत किया गया था तथा दूसरा नामान्तरकरण संख्या 229 मुताबिक रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर खातेदार रेशम पत्नी स्व0 लालाराम के स्थान पर सरोज धर्मपत्नी हुकमसिंह व वर्षा धर्मपत्नी दानवीरसिंह वहिस्सा बराबर 1/3 जाति जाट साकिन देह खातेदार बाकी बदस्तूर ग्राम पंचायत चिचाना पंचायत समिति सेवर द्वारा दिनांक 29.07.2010 को स्वीकार किया गया था। इन दोनों नामान्तरकरणों से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा दो पृथक–पृथक प्रथम अपीलें उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई। जिसमें उल्लेख किया गया कि मृतक लालाराम की आराजी का विरासतन दाखिल खारिज रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा गलत स्वीकृत किया गया है, क्योंकि मृतक लालाराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 16.12.1991 को वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से की वसीयत अपीलान्ट को तथा शेष 1/2 हिस्से की वसीयत मृतक अतरसिंह को कर दी गई थी। इसलिऐ रैस्पोडेन्ट संख्या 1 विवादित भूमि से कोई सरोकार नहीं होने के कारण उसके हक में नामान्तरकरण गलत रूप से स्वीकृत किया गया था। इस नामान्तकरण के आधार पर रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में विक्रय किया। जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 229 रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में तस्दीक किया गया था। तहत अदालत उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2014 से दोनों नामान्तरकरणों के संबध में एक ही निर्णय पारित कर वसीयत में अंकित आराजी वसीयतकर्ता की स्वअर्जित आराजी है सिद्ध नहीं होने के कारण अपीलें कमशः 10/2020 एवं 11/2020 खारिज कर दी गई। उपखण्डाधिकारी भरतपुर के उपरोक्त आदेश दिनांक 30.05.2014 के खिलाफ अपीलान्टस के द्वारा अदालत हाजा में अपीलें पेश की गई। अपीलें पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावलीयां तलब की गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2014 विधिविरूद्ध तथा तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है, क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को इस आधार पर खारिज किया है कि नोटेरी पब्लिक के हस्ताक्षरों के नीचे दिनांक अंकित नहीं है और ना ही नाम अंकित है। अदालत मातहत द्वारा उक्त फाईडिंग गलत आधार पर दी गई है जबकि अदालत मातहत में प्रस्तुत वसीयत में नोटेरी पब्लिक की गोल मोहर में उसका नाम शिवचरन सिंह स्पष्ट रूप से अंकित है तथा वसीयतनामा की लिखावट के अन्त में वसीयतनामा की दिनांक 16.12.1991 टंकित की हुई है। इसलिए हस्ताक्षर के नीचे तिथि लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अपीलाधीन आदेश में भी स्वयं न्यायालय ने किसी भी स्थान पर हस्ताक्षरों के नीचे कोई तारीख नहीं लिखी है। मात्र तिथि न लिखने से दस्तावेज की वैद्यता पर कोई सशंय नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से उस परिस्थिति में जब रैस्पोडेन्ट स्वयं वसीयत को परोक्ष रूप से स्वीकार करते हैं। रैस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में हुई

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वसीयत को कभी भी अस्वीकार नहीं किया है। अपीलीय न्यायालय ने पेशकर्दा वसीयत पर अपना न्यायिक विवेक इस्तेमाल नहीं कर सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि विधि संगत नहीं होने के कारण काबिले मंसूखी है। इसके अलावा प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा पारित आलौच्य आदेश अस्पष्ट व स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आने तथा रिकार्ड के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि वसीयत की वैद्यता को देखने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है कतई गलत है क्योंकि मुताबिक कानून मृतक की मृत्यु टैरटामेन्ट्री अथवा इन्टेस्टेड हुई है तो उस सूरत में विचारण न्यायालय उसके वारिसान की जांच करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार रखता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष तो सिर्फ यह प्रश्न था कि आया मृतक लालाराम ने अपने जीवनकाल में वसीयत तहरीर की है अथवा नहीं, इस प्रश्न की जांच सिर्फ तहसीलदार द्वारा दाखिल खारिज किये जाने से पूर्व की जानी चाहिए। इस संबंध में अपीलीय न्यायालय को स्वयं के स्तर पर परीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है। वरन् इसके लिए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए था, लेकिन अदालत मातहत ने ऐसा नहीं कर मनमाने तरीके से रिकार्ड के विपरीत जाकर आलौच्य आदेश पारित किया है जो काबिले मंसूखी है। तहत अदालत ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि अवैध विरासतन दाखिल खारिज के आधार पर रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विवादित आराजी को तुरन्त–फुरन्त रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में हस्तान्तरण कर दिया तथा इस अवैध हस्तान्तरण के आधार पर रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 229 अपने पक्ष में स्वीकृत करा लिया। जबकि रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को यह पूर्ण ज्ञान था कि मृतक लालाराम ने अपनी आराजीयात की बाबत उक्त वसीयत निस्फ भाग की उनके पिता अतरसिंह को कर दी थी। विचारण न्यायालय द्वारा नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने से पूर्व वसीयत व कब्जे के बारे में किसी प्रकार की कोई जांच आदि नहीं की गई तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नहीं कर अपील खारिज करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.05.2014 निरस्त किया जावे तथा दाखिल खारिज संख्या 225 दिनांक 24.06.2010 ग्राम पंचायत चिचाना व दाखिल खारिज संख्या 229 दिनांक 29.07.2010 को निरस्त किया जावे तथा प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि मृतक लालाराम द्वारा छोडी गई वसीयत दिनांक 16.12.1991 के अनुसार अपीलान्टस के नाम दाखिल खारिज स्वीकार करें।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील रैस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2014 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण उचित है। यह स्वीकार्य तथ्य है कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 मृतक खातेदार लालाराम की पत्नी थी जो कि प्रथम श्रेणी की वारिस है। अतः अपीलान्ट का यह कथन कि मृतक लालाराम की मृत्यु बिना किसी वारिस के हुई थी गलत है। खातेदार की मृत्यु होने पर वारिसान के संबंध में पूर्ण जांच पड़ताल के बाद ग्राम पंचायत द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या 1 जो कि

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

मृतक खातेदार लालाराम की पत्नी थी के नाम नामान्तकरण संख्या 225 नियमानुसार खोला गया था। जहां तक अपीलान्ट के पक्ष में खातेदार की ओर से वसीयत किए जाने का प्रश्न है तो उक्त वसीयत न तो रजिस्टर्ड है और न ही वसीयत की प्रमाणित प्रति ही प्रस्तुत की गई है, वरन् फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है जो कि साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। इसके अलावा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपंजीकृत वसीयत को सक्षम न्यायालय से प्रोबेट नही कराया गया है। जो कि नियमानुसार करवाया जाना आवश्यक है। अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तकरण नहीं खोला जा सकता है। इस तरह का सिद्धान्त 2020 आर.बी.जे. पेज संख्या 1 व 2020 आर.बी.जे. पेज संख्या 301 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित किया गया है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपंजीकृत वसीयत के आधार पर किसी प्रकार का कोई हक अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 व 188 के तहत विवादित भूमि के संबंध में दिनांक 26.08.2010 को दावा प्रस्तुत किया गया था। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को नामान्तकरण संख्या 225 एवं 229 के बारे में पूर्व से जानकारी थी, परन्तु इस तथ्य को छिपा कर अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में मियाद बाहर अपील पेश की गई थी। किसी भी व्यक्ति के हक हकूक व स्वत्व संबंधी अधिकार नियमित दावे के माध्यम से ही तय हो सकते हैं। नामान्तकरण संबंधी कार्यवाही जो कि एक संक्षिप्त कार्यवाही है में स्वत्व संबंधी अधिकार तय नहीं हो सकते हैं और न ही अपीलीय न्यायलय द्वारा नामान्तकरण की अपील में इस तरह के अधिकार तय किये जा सकते हैं। इस तरह का सिद्धान्त 2019 आर.बी.जे. पेज 69 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित किया गया है। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि नामान्तरकरण संख्या 225 मृतक खातेदार लालाराम की मृत्यु के आधार उसकी पत्नी रेशम के नाम खोला गया था, जो कि मृतक लालाराम की एक मात्र जीवित वारिस थी। इसलिऐ नामान्तरकरण 225 नियमानुसार स्वीकार किया गया था। इसके अलावा नामान्तरकरण संख्या 229 भी रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर खोला गया है जो कि नियमानुसार वाद परीक्षण स्वीकार किये गये हैं। इसकी ताईद तहत अदालत उपखण्डाधिकारी भरतपुर ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2014 में की है। अपीलान्ट की ओर से अपील में उठाये गये समस्त बिन्दु निराधार हैं, क्योंकि राजस्व न्यायालय को गोदनामा, हकत्याग, वसीयत, दानपत्र जैसे जटिल बिन्दु पर मीमांशा किये जाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत कथित वसीयतनामा 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर तहरीर है। जिस पर नोटेरी के हस्ताक्षरों पर दिनांक अंकित नहीं है ना ही नोटेरी का लाईसेंस नम्बर अंकित है। इसके अलावा नोटेरी पंजिका का नम्बर भी अंकित नहीं किया गया है और ना ही नोटेरी का नाम अंकित है। ऐसी स्थिति में एक विधिक उत्तराधिकार की मौजूदगी में एक संशययुक्त वसीयत को विरासत का आधार बनाया जाना न्यायोचित नहीं रहता है। इसके अलावा यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि वसीयत वही व्यक्ति कर सकता है, जिसने वसीयत में अंकित भूमि को स्वअर्जित किया हो। लेकिन उपरोक्त प्रकरण में यह कहीं भी प्रमाणित नही हो रहा है कि

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तथाकथित वसीयत में अंकित आराजी वसीयतकर्ता की स्वअर्जित सम्पत्ति/आराजी थी। अपीलान्ट की ओर से भी ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबन्दी/बयनामा न तो परीक्षण न्यायालय में और न ही प्रथम अपीलीय न्यायालय या अदालत हाजा में पेश किया। जिससे उनके इस कथन की पुष्टि होती हो कि पेशकर्दा संशययुक्त वसीयत में अंकित आराजी वसीयतकर्ता के द्वारा स्वअर्जित की गई थी। ऐसी स्थिति में विरासत के नामान्तकरण में संशययुक्त वसीयत को आधार नहीं बनाया जा सकता और न ही किसी विधिक उत्तराधिकारी को उसके विरासतन हकों से महरूम किया जाना न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के मध्यनजर मुनासिब रहता है। वकील रैस्पोडेन्ट उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.05.2014 को यथावत रखे जाने का अनुरोध किया।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि राजस्थान के निवासी द्वारा किसी व्यक्ति के पक्ष में की गई अपंजीकृत वसीयत को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 213 के तहत प्रोबेट करवाये जाने की आवश्यकता नहीं है। वरन् राज्य के बाहर वसीयत करवाये जाने पर प्रोबेट करवाये जाने की आवश्यकता है। इस तरह का सिद्धान्त आर.आर.डी. 1991 पेज 746 व आर.आर.डी. 1986 पेज 136 पर उद्धरित निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल की ओर से पारित किया गया है। इसी तरह वसीयत ग्रहीता के पक्ष में वसीयत का निष्पादन किया जा सकता है। इस तहर का सिद्धान्त ए.आई.आर 1982 केरला पेज 136 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित किया गया है। अदालत मातहत ने इस परिपेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय में कोई अभिमत नहीं दिया है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.05.2014 निरस्त किया जाकर मृतक खातेदार की ओर से अपीलान्ट के पक्ष में की गई वसीयत के आधार पर विवादित भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष में खोले जाने के आदेश दिये जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली व अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के अभिभाषकगण की ओर से बहस में संदर्भित नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में ग्राम पंचायत चिचाना की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 225 दिनांक 24.06.2010 व 229 दिनांक 29.07.2010 के विरूद्ध दो पृथक–पृथक अपीलें प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपीलों में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.05.2014 के द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपीलों को खारिज किया है। उक्त निर्णय में विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने उभयपक्षकारान की ओर से की गई बहस का उल्लेख करते हुए यह माना है कि पत्रावली पर उपलब्ध नोटेरी सत्यापित वसीयतनामा 100/– रूपये के नॉन ज्यूडीशियली स्टाम्प पर तहरीर है। स्टॉम्प पेपर दिनांक 16.12.1991 को क्रय कर दिनांक 16.12.1991 को लिखे गए व नोटेरी से सत्यापित कराए गए हैं। नोटेरी ने अपने हस्ताक्षरों में किसी दिनांक का अंकन नहीं किया है और न ही अपनी पंजिका का नंबर अंकित किया है। नोटेरी का नाम भी अंकित नहीं है। लाइसेन्स नंबर नहीं

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

लिखा गया है। वसीयतनामा में लालाराम ने यह अंकित नहीं किया है कि आराजी उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति है। अपीलान्ट ने मीमो आफ अपील के साथ जमाबन्दी/बयनामा को पेश नहीं किया है। जिससे यह प्रमाणित हो सके कि लालाराम द्वारा वसीयतकृत सम्पत्ति स्वअर्जित हो। उक्त निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल की ओर से आर.आर.डी. 2005 पेज 85 में प्रतिपादित सिद्धान्त "Mutation proceeding is a fiscal proceeding matter relating to will, gift, and succession can not be decided by mutation proceedings." का उल्लेख करते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि नामान्तकरण संख्या 225 दिनांक 24.06.2010 ग्राम पंचायत की ओर से मृतक खातेदार के वारिसान के संबंध में जांच के बाद खोला गया है तथा नामान्तकरण संख्या 229 दिनांक 29.07.2010 रजिस्टर्ड बयनामे के आधार पर खोला गया है। जहां तक अपीलान्ट के पक्ष में विवादित भूमि के मृतक खातेदार लालाराम द्वारा वसीयत किये जाने का प्रश्न है तो ग्राम पंचायत के समक्ष नामान्तकरण संख्या 225 व 229 को स्वीकार किये जाने से पूर्व उक्त वसीयत प्रस्तुत हो गई हो। ऐसा कोई तथ्य अपीलान्ट की ओर से नहीं बताया गया। इसके अलावा रैस्पोडेन्ट की ओर से वक्त बहस फार्म नंबर 3 के साथ उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 व 188 के तहत प्रस्तुत वाद संख्या 373/10 उनवानी महावीर सिंह बनाम रेशम से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के द्वारा विवादित भूमि के संबंध में पेश किया हुआ है। वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से बहस के दौरान प्रस्तुत नजीर 2019 आर.बी.जे. पेज 69 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार नामान्तकरण संबंधी कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है। जिसके माध्यम से किसी भी पक्ष के हक हकूक तय नहीं हो सकते हैं और न ही अपीलीय न्यायालय द्वारा नामान्तकरण की अपील में इस तरह के कोई हक तय किये जा सकते हैं के आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसी तरह 2020 आर.बी.जे. पेज 1 व 2020 आर.बी.जे. पेज 301 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर भूमि का नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है के परिप्रेक्ष्य में भी ग्राम पंचायत की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 225 में कोई अनियमितता नजर नहीं आती है। नामान्तकरण संख्या 229 भी रजिस्टर्ड बयनामे के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में संदर्भित नजीर आर.आर.डी. 1991 पेज 476, आर.आर.डी. 1986 पेज 133 एवं 1982 ए.आई.आर केरला 136 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्तों का प्रश्न है तो उक्त सिद्धान्तों से हम सादर सहमत है परन्तु उपरोक्त प्रकरण में तथ्य संदर्भित नजीरों में वर्णित तथ्यों से भिन्न होने के कारण हमारी विनम्र राय में उक्त नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। इसके अलावा भी वकील अपीलान्ट की ओर से वक्त बहस फार्म नं0 3 के साथ प्रस्तुत उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 373/2010 उनवानी महावीर सिंह बनाम रेशम जो कि अपीलान्ट की ओर से विवादित भूमि के

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

संबंध में राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 व 188 के तहत पेश किया गया है, के अनुसार उपरोक्त भूमि का प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। जिसके तहत उभयपक्षकारान के हक–हकूक का निर्णय होना है। यदि उपरोक्त वाद में अपीलान्ट के पक्ष में निर्णय होता है तो तदानुसार नामा0 अपीलान्ट के पक्ष में खोला जा सकता है। परन्तु इस स्तर पर अपीलाधीन नामा0 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित किया जाना बहुवाद को बढाना होगा। विद्वान उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.05.2014 में भी यह माना है कि नामान्तकरण संबंधी कार्यवाही जो कि एक फिसकल प्रोसिडिंग है में वसीयत उपहार या उत्तराधिकार के बिन्दु को तय नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त प्रकरण में भी अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय में भी दावा प्रस्तुत कर दिया गया है। इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नजर नहीं आती है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में ग्राम पंचायत चिचाना की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 225 दिनांक 24.06.2010 व नामान्तकरण संख्या 229 दिनांक 29.07.2010 व उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.05.2014 में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.05.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 30.10.2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर